रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1073] नई दिल्ली, बुधवार, मई 20, 2015/वैशाख 30, 1937
No. 1073] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 20, 2015/VAISAKHA 30, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2015

सं. 7/2015–2020

विषय : आईटीसी (एचएस), 2012 अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 27 के अंतर्गत शिप ब्रेकिंग हेतु शिप के आयात के आनुषंगिक ईंधन की आयात नीति में संशोधन।

का.आ. 1357(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) 2012– अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 27 के आईटीसी (एचएस) कोड 27101930 तथा 27101940 के तहत शिप ब्रेकिंग हेतु शिप के आयात के आनुषंगिक ईंधन की आयात नीति को निम्नानुसार संशोधित करती है।

आईटीसी (एचएस) कोड	मद	मौजूदा नीति	मौजूदा नीति शर्त	संशोधित नीति शर्त
27101930	हाई स्पीड डीजल (एचएसडी)	राज्य व्यापार उपक्रम	आयात निम्नलिखित नीति शर्त (5) के अनुसार किया जाएगा।	आयात निम्नलिखित नीति शर्त (5) के अनुसार किया जाएगा। तथापि, ब्रेकिंग के प्रयोजन हेतु पुराने शिपों/जहाजों इत्यादि के जरिए जहाज की मशीन/ईंजन के अंदर अथवा बाहर (बचे हुए ईंधन के रूप में) लाया जाने वाला तथा इन शिपों/जहाजों इत्यादि के लिए आनुषंगिक हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) "मुक्त" है।
27101940	हल्का डीजल तेल (एलडीओ)	राज्य व्यापार उपक्रम	आईओसी के माध्यम से विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.11 के अधीन	आईओसी के माध्यम से विदेश व्यापार नीति (2015–20) के पैरा 2.20 के अधीन आयात अनुमत है। तथापि, ब्रेकिंग के प्रयोजन हेतु पुराने शिपों/जहाजों इत्यादि के

आईटीसी (एचएस) कोड	मद	मौजूदा नीति	मौजूदा नीति शर्त	संशोधित नीति शर्त
			आयात अनुमत है।	जरिए जहाज की मशीन/ईंजन के अंदर अथवा बाहर (बचे हुए ईंधन के रूप में) लाया जाने वाला तथा इन शिपों/जहाजों इत्यादि के लिए आनुषंगिक हल्का डीजल तेल (एलडीओ) "मुक्त" है।

2. इस अधिसूचना का प्रभावः ब्रेकिंग के प्रयोजन हेतु पुराने शिपों/जहाजों इत्यादि के जरिए लाए जाने वाला और इन शिपों/जहाजों इत्यादि के लिए आनुषंगिक हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) और हल्का डीजल तेल (एलडीओ) "मुक्त" है।

[फा. सं. आईपीसी/4/5/(684)/97–02/पीसी–2(ए)]

प्रवीर कुमार, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2015

No. 07 /2015-2020

Subject: Amendment in import policy of fuels, incidental to the import of ship for ship breaking, under Chapter 27 of ITC (HS), 2012 – Schedule – 1 (Import Policy).

S.O. 1357(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Central Government hereby amends the Import Policy of fuels, incidental to the import of ship for ship breaking, under ITC (HS) code 2710 1930 and 2710 1940 of Chapter 27 of ITC (HS), 2012 – Schedule – 1 (Import Policy) as under:

ITC (HS) Code	Item	Existing Policy	Existing Policy Condition	Revised Policy Condition
2710 1930	High speed diesel (HSD)	State Trading Enterprise	Import as per Policy Condition (5) below.	Import as per Policy Condition (5) below. However, import of HSD, brought on board in old ships / vessels which are meant for breaking, whether within vessel's machinery/engine or outside (as remnant fuel) and is incidental to such ships / vessels, is "free".
2710 1940	Light diesel oil (LDO)	State Trading Enterprise	Import allowed through IOC subject to para 2.11 of Foreign Trade Policy.	Import allowed through IOC subject to para 2.20 of Foreign Trade Policy (2015-20). However, import of LDO, brought on board in old ships / vessels which are meant for breaking, whether within vessel's machinery/engine or outside (as remnant fuel) and is incidental to such ships / vessels, is "free".

2. Effect of this Notification: Import of High Speed Diesel (HSD) and Light diesel oil (LDO), brought on board in the old ships / vessels for purpose of breaking, and which are incidental to such ships / vessels, is "free".

[F. No.IPC/4/5/ (684)/97-02/PC-2 (A)]

PRAVIR KUMAR, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.